क्रम संख्या–98

संख्या 1108/43–2–17/2(3)–99

प्रेषक,

श्री योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 मई, 1999

विषय :—नकारात्मक निर्णयों का स्वतः स्पष्ट आदेश जारी किया जाना।

महोदय,

क सुधार
–2

आप अवगत हैं कि स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराना शासन की बचनबद्धता है। इस वचनबद्धता को कार्य रूप देने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग की सेवाओं, कार्यकलापों, कार्यों इत्यादि का निष्पादन इस प्रकार कराया जाय कि उसमें पूर्ण पारदर्शिता दृष्टिगोचर हो और उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार जन्म न ले।

2—इस परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाये जाने हेतु यह व्यवस्था अपनायी जाये कि नकारात्मक निर्णयों का सकारण, न्याय संगत एवं तार्किक आधार स्पष्ट करते हुए स्वतः पूर्ण आदेश संबंधित को संसूचित किया जाये। इससे निःसंदेह विशेषकर जनसाधारण को समुचित न्याय मिल पायेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

3—कृपया उपर्युक्त निर्णय का विभिन्न स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या 1108 (1)/43–2–17/2(3)99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एच० एल० बिरदी,
प्रमुख सचिव।